प्रवृत्ति ... जारी नही किये जाने पर वाद व प्रार्थना पत्र का उद्देश्य ही असफल हो जाएगा। आवेदक को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के बिन्दु पर सुना गया आवेदक का कथन है कि अनावेदकगण बिना विधिवत विभाजन के ही बेचान, रहन, मुन्तकिल , जबरन कब्जा कर निमार्ण, व बेदखल करने पर आमादा है। अतः अनावेदकगण जबरन लाठी के जोर से प्रशनगत भूमियों में आवेदक के कब्जेकाश्त में दखलदांजी नहीं करें, बेचान, रहन, कब्जा, निर्माण नहीं करें , मौका एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखें।

प्रार्थना पत्र की अत्यावश्यकता व तत्काल आवश्यकता को देखते हुए अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि आगामी तारीख पेशी तक अनावेदकगण ग्राम मण्डावरा पटवार हल्का मण्डावरा के वर्तमान भूमि खसरा नम्बर 1413, 245, 915, 977, 2228/573, 577 ... में मौका एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। उक्त स्थगन रास्ता, बैंक ऋण वसूली , विद्युत कनेक्शन बाबत् अप्रभावी रहेगा।

आवेदक को निर्देशित किया जाता है कि अनावेदकगण को नोटिस की तामील की सामान्य व साधारण प्रक्रिया के साथ साथ अनावेदकगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेज नोटिस आदि की प्रतियां रजिस्ट्रर्ड डाक से भिजवाया जाना सुनिश्चित कर इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करें। जिन भी स्थितियों में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है, में परिवर्तन की दिशा में आदेश वैकेट अन्यथा संशोधित कर दिया जावेगा। पत्रावली दिनाकं 10.06.2024 को पेश हो।

(मोनिका सामोर)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

10/06/2024 — पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप० प्रार्थी श्री अमर सिंह, एवं उनके अधिवक्ता, श्री सुमेरराम जी ने निवेदन किया कि वे प्रा० प० अस्थाई निषेधाज्ञा को आगे नहीं चलाना चाहते। प्रार्थना पत्र को आगे नहीं चलाना चाहता। इसी स्तर पर खारीज करवाना चाहता हूं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Monika Samore
Date: 2024.06.26 17:35:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

चाहते तथा प्रा० प० अस्थाई निषेधाज्ञा को इसी स्तर पर नॉटप्रेस खारिज करवाना चाहते है तथा इस आशय के आवेदन पर हस्ताक्षर भी किये। पक्षी एवं वकील पक्षी का निवेदन स्वीकार कर प्रा० प० अस्थाई निषेधाज्ञा को इसी स्तर पर नॉटप्रेस खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो व दाखिल दफ्तर हो।

(हस्ताक्षर)

उपखण्ड अ[illegible]ी
जयपुरवाटी ([illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Monika Samore
Date: 2024.06.26 17:35:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

Signature Not Verified

Digitally signed by Monika Samore
Date: 2024.06.26 17:35:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

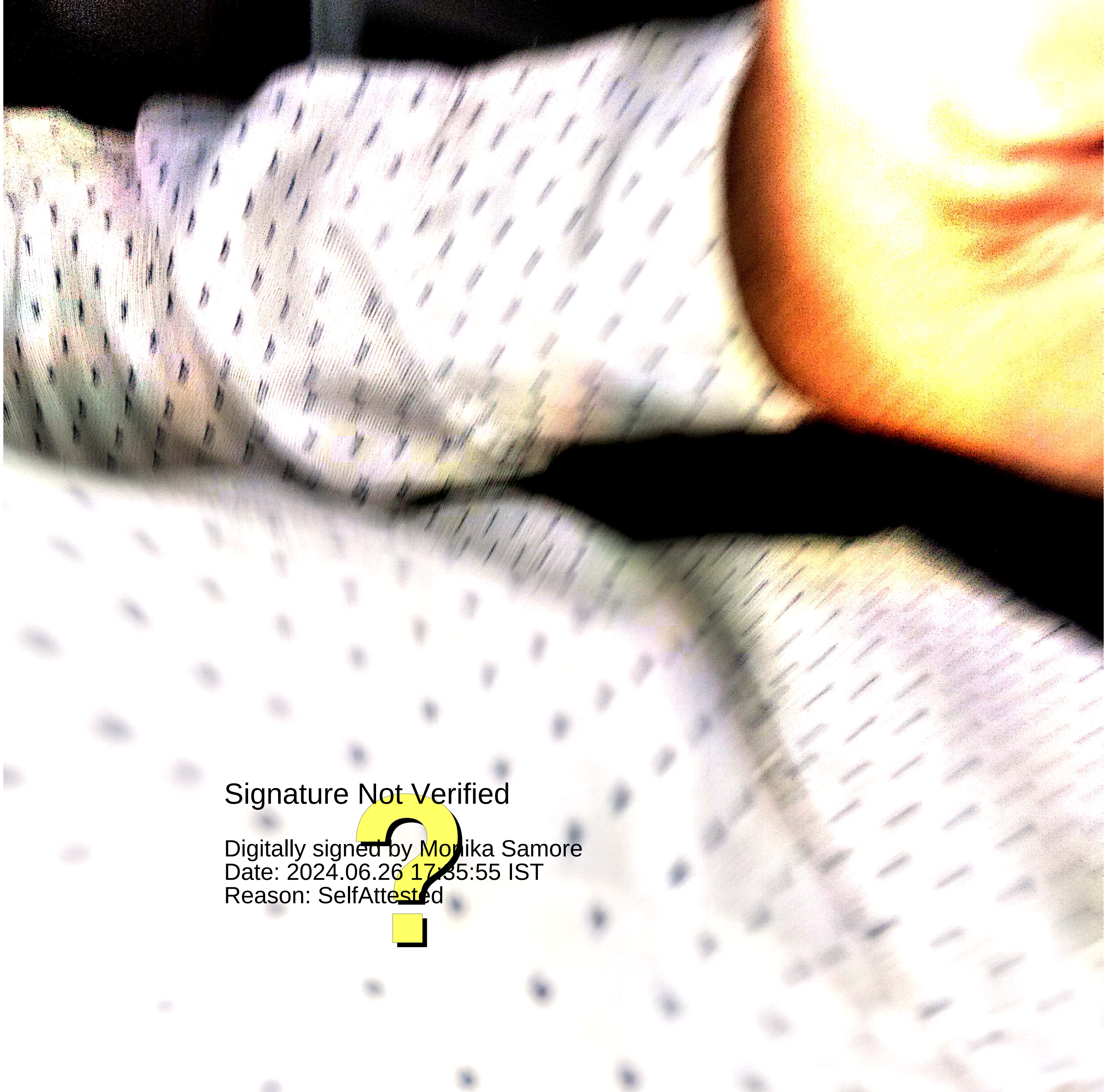

Signature Not Verified

Digitally signed by Monika Samore
Date: 2024.06.26 17:35:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

	को पेश हो। (मोनिका सामोर) उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी	
10/06/2024	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप० प्रार्थी श्री अमर सिंह एवं इनके अधिवक्ता श्री सुमेरराम जी ने निवेदन किया कि वे प्रा० प० अस्थाई निषेधाज्ञा को आगे नहीं चलाना	प्रार्थना पत्र को आगे नहीं चलाना चाहता इसी सत पर खारीज करवाना चाहता हूं।

Amar Singh

ह. सुमेरराम

Signature Not Verified

Digitally signed by Monika Samore
Date: 2024.06.26 17:35:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

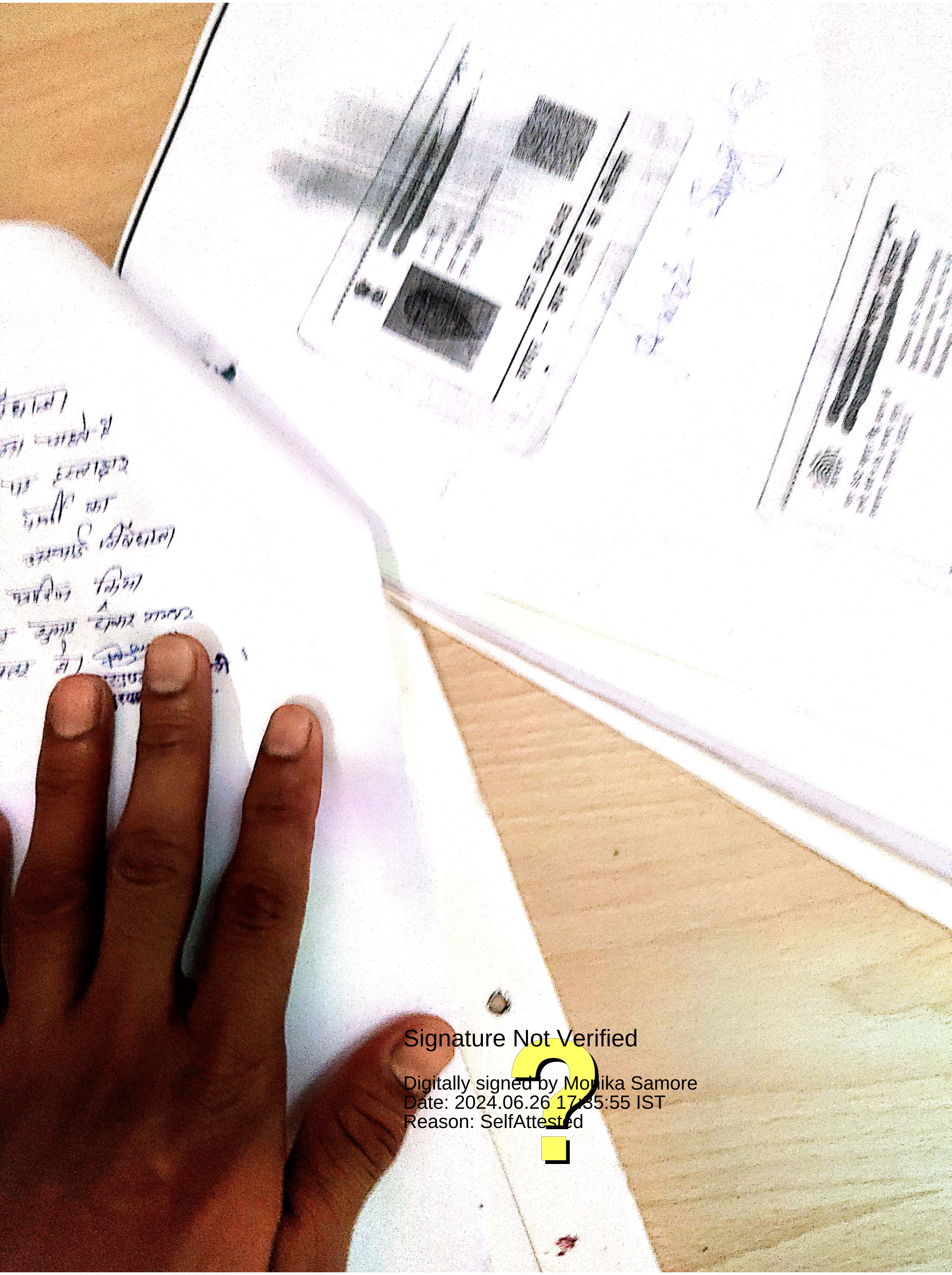

Signature Not Verified

Digitally signed by Monika Samore
Date: 2024.06.26 17:35:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

चाहते तथा प्र० प० अस्थाई निषेधाज्ञा
को इसी स्तर पर मॉडिफाई खारिज करवाना चाहते है
तथा इस आशय के आदेशिका पर हस्ताक्षर
भी किये। पत्नी एवं वकील पत्नी का
निवेदन स्वीकार कर प्र० प० अस्थाई निषेधाज्ञा
को इसी स्तर पर मॉडिफाई खारिज किया
जाता है। पत्रावली फैसल कुमार ठाकुर नम्बर
से कम हो व दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुरवाटी (...)

Signature Not Verified
Digitally signed by Monika Samore
Date: 2024.06.26 17:35:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner